

जाय 6/3/22
24/04/2022

संख्या- 660 /एक-10-2022-33(221)/2011

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक 27 अप्रैल, 2022

विषय:- वज्रपात से होने वाली जनहानि को कम करने हेतु वज्रपात सुरक्षा कार्यक्रम विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित किये जाने के अर्न्तगत वर्कशाप/प्रशिक्षण सम्बन्धित कार्य हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजस्व अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या- 163 /एक-11-2022 दिनांक 31.03.2022 में दिए गए निर्देशों के क्रम में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लखनऊ के पत्र संख्या-15/रा०आ०प्र०प्रा०/2022-23 दि० 04-04-2022 द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव के क्रम में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में, जनपद सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज के अर्न्तर्गत वर्कशाप/प्रशिक्षण तथा जन जागरूकता फैलाने हेतु ₹० 258.33 लाख (₹० दो करोड़ अठ्ठावन लाख तैंतीस हजार मात्र) की धनराशि निम्न विवरण/शर्तों के अधीन अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का व्यय राजस्व अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या-163 /एक-11-2022 दि० 31.03.2022 में दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।

(2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(3) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2023 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2023 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में कार्यालयाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(5) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1-11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा।

- (6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-389-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं०-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।
- (7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मर्दों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।
- (8) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

2- उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि ₹ 258.33 लाख (₹ दो करोड़ अठ्ठावन लाख तैंतीस हजार मात्र) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान सं०-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड 800-अन्य व्यय 06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय 11-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से सामान्य व्यय 42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

Manoj
(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।
27.4.22

संख्या- 660(1)/एक-10-2022-33(221)/2011, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र० प्रयागराज।
- 2- अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, 30प्र० शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, 30प्र० शासन।
- 4- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, 30प्र० शासन।
- 5- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, 30प्र० लखनऊ।
- 6- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
- 7- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, 30प्र०।
- 8- नोडल अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10 (बजट आवंटन), 30प्र० शासन।
- 9- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, 30प्र०।
- 10- वित्त नियंत्रक, 30प्र० राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
- 11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 12- गार्ड फाइल।

Manoj
26.04.2022

O/c

आज्ञा से,

Ram
(राम केवल)

विशेष सचिव।

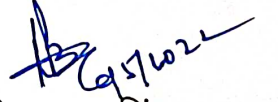
Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2022-2023
आवंटन दिनांक-06/05/2022

प्रेषण संख्या:- 660
आवंटन आदेश संख्या:- 001-660
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-6019-up state disaster management authority , lucknow-01-a	वर्तमान प्रगामी	25833000 25833000	25833000 25833000
	योग	वर्तमान प्रगामी	25833000 25833000	25833000 25833000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो करोड़ अट्ठावन लाख तैंतीस हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो करोड़ अट्ठावन लाख तैंतीस हजार


(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उ० प्र० शासन।